

## हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

### अधिसूचना

शिमला—4, 7 मार्च, 2011

**संख्या : वि० स० (विधायन) विधेयक/1-8/2011.**—हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 12) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व—साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

सचिव,  
गोवर्धन सिंह,  
सचिव,  
हि० प्र० विधान सभा ।

---

2011 का विधेयक संख्यांक 12

### हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

**2. धारा 2 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 2 में,—

(क) खण्ड (1) का लोप किया जाएगा;

(ख) खण्ड (6) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(6क.) ‘‘पशु’’ से पालतू पशु अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत हाथी, ऊँट, भैंस, गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी, बधिया घोड़ा, टट्टू, बछेड़ा, बछेड़ी, खच्चर, गधा, सुअर, मेड़ा, भेड़ी, भेड़, मेमना, बकरी और उस के मेमने सम्मिलित हैं।

(ग) खण्ड (33) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-  
‘‘(33-क) ‘करयोग्य मूल्य’ से,-

(क) भूमि की दशा में करयोग्य मूल्य, भूमि के वास्तविक क्षेत्र के प्रतिवर्गमीटर को कर की इकाई क्षेत्र द्वारा गुणित करके और विशेष क्षेत्र के लिए विहित सुसंगत कारकों पर आधारित होगा तथा भवन की दशा में करयोग्य मूल्य स्तम्भमूल क्षेत्र (प्लिंथ एरिया) के प्रतिवर्ग मीटर को, कर की इकाई क्षेत्र दर द्वारा गुणित करके और विशेष क्षेत्र के लिए विहित सुसंगत कारकों पर आधारित होगा।

(ख) भूमि और भवनों पर कर के उद्ग्रहण के लिए सम्पूर्ण नगरपालिक क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाएगा और प्रत्येक क्षेत्र के भिन्न-भिन्न मूल्यों (उपयोगिता) वाले सुसंगत कारक होंगे।

(ग) इकाई क्षेत्र कर का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए पांच कारक होंगे, अर्थात्:-

(i) अवस्थिति, (ii) अधिभोगिता, (iii) भवन की मियाद, (iv) भवन का उपयोग और (v) अवसंरचना का प्रकार। प्रत्येक कारक की अलग-अलग क्षेत्र के लिए भिन्न-भिन्न उपयोगिता होगी, जो नगरपालिका द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर के उद्ग्रहण, संगणना और निर्धारण के लिए पद्धति, जो भवनों के श्रेणीकरण, परम्परागत उपयोग या भवनों के संविभाजन से सम्बन्धित है, या खाली भूमि और खुले स्थान जो भूमि और भवन के भाग हैं, उपविधियों द्वारा विहित की जा सकेगी:

परन्तु भवन के करयोग्य मूल्य पर, भवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक मरम्मत और अनुरक्षण व्ययों के लेखे में दस प्रतिशत की वार्षिक कटौती अनुज्ञात की जाएगी तथा कर की राशि पर दस प्रतिशत की छूट भी अनुज्ञात की जाएगी, यदि बिल में विनिर्दिष्ट कर की राशि को ऐसे बिल की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर संदर्त्त कर दिया गया है तथापि यह छूट उन व्यतिक्रमियों को लागू नहीं होगी जिन पर कर का बकाया है।”।

3. धारा 34 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 34 में “राज्य सरकार, नगरपालिकाओं में से सभी या किसी के लिए,” शब्दों और चिन्ह के स्थान पर “नगरपालिका” शब्द रखा जाएगा।

4. धारा 57 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 57 में,—

(क) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“(4) यथास्थिति, कार्यपालक अधिकारी या सचिव, इस अधिनियम की धारा 49 के अधीन गठित स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन से लोक नीलामी द्वारा, नगरपालिका से सम्बन्धित किसी जंगम (चल) या स्थावर (अचल) सम्पत्तियों का विक्रय द्वारा, पट्टे पर या अन्यथा व्ययन कर सकेगा:

परन्तु स्थावर (अचल) सम्पत्ति के अन्तरण की पद्धति और पुरोभाव्य शर्त, नगरपालिका द्वारा बनाए गए विनियमों या उपविधियों द्वारा शासित होगी।

(4-क) यथास्थिति, कार्यपालक अधिकारी या सचिव एक रजिस्टर बनाए रखेगा, जिसमें स्थावर (अचल) सम्पत्तियों का व्यौरा दिया जाएगा और उक्त तालिका में, ऐसी रीति में जैसी उपविधियों द्वारा विहित की जाए, परिवर्तन, यदि कोई हो, दर्शित करते हुए वार्षिक विवरणी तैयार करेगा तथा उसे वर्ष के अन्त में विचार करने के लिए नगरपालिका के समक्ष रखेगा; और

(ख) उपधारा (5) में “कार्यपालक अधिकारी” शब्दों के स्थान पर “यथास्थिति, कार्यपालक अधिकारी या सचिव” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

**5. धारा 65 का प्रतिस्थापन।**—मूल अधिनियम की धारा 65 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

“65. भूमि और भवनों पर कर की दर।— (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर भूमि और भवनों पर कर की इकाई क्षेत्र दर भूमि और भवन के करयोग्य मूल्य, एक प्रतिशत से पच्चीस प्रतिशत के बीच होगा, जो नगरपालिका द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाएः

परन्तु नगरपालिका भूमि और भवनों या उनके किसी भाग, जिसका उपयोग केवल लोक पूजा के प्रयोजन के लिए किया जाता है और खाली भूमि और भवनों के क्षेत्र या उनके भाग, जिन्हें लोक कब्रस्तान के प्रयोजन के लिए या श्मशान भूमि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है या जिसे मृतक की अन्तेयष्टि के लिए प्रयुक्त किया जाता है, पर कर की दर में पूर्णतः या भागतः छूट दे सकेगी या निम्नतर दर उद्गृहीत कर सकेगी; और

(2) ऐसी दरों पर ऐसा अन्य कर जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक मामले में निदेश दे:

परन्तु खण्ड (ख) के अधीन कोई कर तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा, जब तक नगरपालिका क्षेत्र के निवासियों या प्रभावित पक्षकारों को विहित रीति में आक्षेप करने का अवसर न दे दिया गया हो और आक्षेप, यदि कोई प्राप्त हुए हों, पर विचार न कर लिया गया हो।”।

**6. धारा 66 का प्रतिस्थापन।**—मूल अधिनियम की धारा 66 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:

“66. फीस, पथकर, और उपयोक्ता प्रभार—नगरपालिका स्वयं द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवा के लिए, ऐसी दर पर और ऐसी रीति में, जैसी नगरपालिका द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाए, फीस, पथकर और उपयोक्ता प्रभार उद्गृहीत कर सकेगी।”।

**7. धारा 69 का प्रतिस्थापन।**—मूल अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(1) नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई बिजली के प्रत्येक यूनिट के लिए एक पैसे की दर पर बिजली के उपभोग पर कर, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं में उपभोग के लिए बिजली का प्रदाय करता है, संगृहीत किया जाएगा और सम्बद्ध नगरपालिका को संदत्त किया जाएगा।”।

**8. धारा 70 और 71 का लोप।**—मूल अधिनियम की धारा 70 और 71 का लोप किया जाएगा।

**9. धारा 79 का संशोधन।**—मूल अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

**10. धारा 150—क का अन्तस्थापन।**—मूल अधिनियम की धारा 150 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“150—क. पशुओं का रजिस्ट्रीकरण और उनके अभिलेख का रखा जाना।—(1) प्रत्येक परिवार का मुखिया अपने परिवार द्वारा रखे गए पशुओं के ब्यौरे हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011 के आरम्भ होने से एक मास की अवधि के भीतर और तत्पश्चात् हर समय, जब कभी किन्हीं कारणों से पशुओं की संख्या में बदलाव आता है, नगरपालिका को मौखिक रूप में या लिखित में देने या दिलवाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन पशुओं के ब्यौरे की प्राप्ति पर नगरपालिका पशु का रजिस्ट्रीकरण करेगी और उनके अभिलेखों को ऐसी रीति में बनाए रखेगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए;

परन्तु नगरपालिका ऐसी दर पर रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित कर सकेगी, जैसी नगरपालिका द्वारा नियत की जाए।

(3) नगरपालिका का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक पशु पर समुचित पहचान चिन्ह लगाने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा लगाए गए कर्मचारियों या व्यक्तियों की सहायता करे और पहचान का अभिलेख बनाए रखे।

(4) यदि पहचान चिन्ह वाला कोई पशु आवारा पाया जाता है, तो पशु के मालिक को नगरपालिका द्वारा बनाए रखे गए अभिलेख से पहचाना जाएगा और ऐसा मालिक, प्रथम अपराध के लिए पांच सौ रुपए तथा पश्चात्वर्ती अपराध के लिए सात सौ रुपए के जुर्माने के लिए दायी होगा, जिसे नगरपालिका द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।

(5) यदि नगरपालिका, ऐसे आवारा पशु के पहचान चिन्ह के साथ छेड़-छाड़ करने या उसको विकृत करने के कारण पहचान करने में असफल रहती है, तो वह मामले की रिपोर्ट नज़दीकी पशु औषधालय के प्रभारी को करेगी, जो आवारा पशु को नज़दीकी गौशाला में रखवाएगा।”।

**11. धारा 202 का संशोधन।**—मूल अधिनियम की धारा 202 में “और यदि राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाए, तो करेगी” शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा।

**12. धारा 204 का संशोधन।**—मूल अधिनियम की धारा 204 की उपधारा (1) में “यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए,” शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा।

**13. धारा 214 का संशोधन।**—मूल अधिनियम की धारा 214 में “और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, तो करेगी” शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा।

**14. धारा 216 का संशोधन।**—मूल अधिनियम की धारा 216 में “दो सौ रुपए” और “दस रुपए” शब्दों के स्थान पर क्रमशः “पांच हज़ार रुपए” और “एक सौ रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

**15. धारा 217 का प्रतिस्थापन।**—मूल अधिनियम की धारा 217 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“217. उपविधियों के बारे में अनुपूरक उपबन्ध।—इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त उपविधियां बनाने की कोई शक्ति, इस शर्त के अध्यधीन प्रदत्त की गई है कि उपविधियां नगरपालिका द्वारा, पूर्व प्रकाशन के पश्चात, लोक आक्षेपों को आमन्त्रित करने के लिए, राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् बनाई जा रही हैं:

परन्तु राज्य सरकार, ऐसी किसी उपविधि को, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के प्रतिकूल पाई जाती है, रद्द कर सकेगी और तदुपरि उपविधि प्रभावहीन हो जाएगी।”।

**16. धारा 218 और 219 का लोप।**—मूल अधिनियम की धारा 218 और 219 का लोप किया जाएगा।

**17. धारा 220 का संशोधन।**—मूल अधिनियम की धारा 220 की उपधारा (2) में “दस रुपए” शब्दों के स्थान पर “पचास रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के अध्याय 6 के अन्तर्गत नगरपालिका की सीमाओं के भीतर भूमि और भवनों के अधिभोगियों से करों और फीसों का उद्ग्रहण करने के मूलभूत अधिकार के साथ-साथ करों और फीसों की वसूली के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाएं भी अधिकथित हैं। सम्पत्ति कर समस्त शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत है। वर्तमान में कर का निर्धारण सकल वार्षिक भाटक (किराया) पर किया जाता है और जहां किसी भूमि या भवन का सकल वार्षिक भाटक निर्धारित नहीं किया जा सकता है, वहां उसका निर्धारण भवन निर्माण की लागत और भूमि की लागत पर किया जाता है। तेरहवें वित्त आयोग का भी यह निश्चित विचार है कि समस्त शहरी स्थानीय निकायों को सम्पत्ति कर उद्गृहीत करने हेतु समर्थ बनाया जाना चाहिए और इस संबंध में कोई भी बाधा हो उसे दूर किया जाना चाहिए। शहरी स्थानीय निकायों के हालात सरकार को तेहरवें वित्त आयोग वितरण के अनुसार 1-4-11 से 31-3-2015 तक मिलने वाले निष्पादन योजक अनुदान को प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाएंगे। सम्पत्ति कर के निर्धारण और उद्ग्रहण के लिए प्रक्रिया को साधारण बनाने के लिए भूमि के प्रति वर्ग मीटर वास्तविक क्षेत्रफल और भवन के प्रति वर्ग मीटर स्तम्भमूल क्षेत्र (प्लिंथ एरिया) पर आधारित अनुपातिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारण को स्वीकृत प्राचल, अर्थात् अवस्थिति, अधिभोग, भवन की मियाद, भवन के उपयोग और निर्मितियों के प्रकार पर प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त, धारा 216 के अधीन उपबंधित उप-विधियों के उल्लंघन के लिए शास्ति, अपराध की गंभीरता की तुलना में नाममात्र ही है, इसलिए, उप-विधियों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु शास्ति में वृद्धि करने और उपबंधों को और अधिक कड़ा करना भी प्रस्तावित किया गया है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुरूप पशुओं के रजिस्ट्रीकरण और उसके अभिलेख के अनुरक्षण की बाबत एक नया उपबंध भी प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूति के लिए है।

(महेन्द्र सिंह)  
प्रभारी मंत्री

शिमला:

तारीख: ..... 2011

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—শূন্য—

-----

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 12 of 2011**

**THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2011**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, appoint.

**2. Amendment of section 2.**—In section 2 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter referred to as the ‘principal Act’),—

(a) clause (1) shall be omitted .;

(b) after clause (6), the following new clause shall be inserted, namely :—

“(6-a). “cattle” means domestic animals and includes elephants, camels, buffaloes, cows, oxen, horses, mares, geldings ponies, colts, fillies, mules, asses, pigs rams, ewes, sheep lambs goats and kids;” and

(c) after clause (33), the following new clause shall be inserted, namely :—

“(33-a) “ratable value “ shall mean,—

(a) In the case of land, the ratable value shall be based upon per square metre of the actual area of land multiplied by the unit area rate of tax and relevant factors prescribed for the particular zone and in the case of building, the ratable value shall be based upon per square metre of plinth area multiplied by unit area rate of tax and relevant factor prescribed for the particular zone;

(b) for levy of tax on lands and buildings, the entire municipal area shall be divided into different zones and each zone shall have relevant factors having different values;

- (c) for the purpose of determination of unit area tax, there shall be five factors i.e (i) location (ii) occupancy (iii) age of building (iv) use of building and (v) type of structure. Each factor shall have different value for different zone as may be determined by the municipality, from time to time; and
- (d) the mode for levy, calculation and assessment of tax as per provisions of this Act, which relates to the classification, usages of the buildings, or apportionment of buildings, or vacant land and open spaces forming part of the land and building shall be prescribed by bye-laws:

Provided that annual deduction of ten per cent on the ratable value of building shall be allowed on account of repair and maintenance expenses necessary for the maintenance of the building and a rebate of ten percent shall also be allowed on the amount of tax, in case the amount of tax specified in the bill is paid within fifteen days from the date of receipt of such bill, however, this rebate shall not be applicable in the case of defaulters who are in arrear of tax."

**3. Amendment of section 34.**—In section 34 of the principal Act, for the words and sign "State Government may, for all or any of the municipalities" the words and sign "municipality may" shall be substituted.

**4. Amendment of section 57.**—In section 57 of the principal Act,-

- (a) for sub-section (4), the following sub-sections shall be substituted, namely :—

"(4) The Executive Officer or the Secretary, as the case may be, may, with the prior approval of the standing committee, constituted under section 49 of this Act, dispose of, by sale, lease or otherwise, any moveable or immovable properties belonging to the municipality, by public auction:

Provided that the mode and condition precedent to the transfer of immovable property, shall be governed by regulations or bye-laws made by the municipality.

(4-a) The Executive Officer or the Secretary, as the case may be, shall maintain a register giving therein the details of the immovable properties and prepare annual statement indicating the changes, if any, in the said inventory, in such manner as may be prescribed by bye-laws, and shall place the same before the municipality for consideration at the end of the year."; and

(b) in sub-section (5), after the words "Executive Officer", the words and signs "or the Secretary, as the case may be," shall be inserted.

**5. Substitution of section 65.**—For section 65 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"65 Rate of tax on lands and buildings.—(1) Save as otherwise provided in this Act, the unit area rate of tax on lands and buildings within the municipal area shall be between one per cent to twenty five per cent of the rateable value of land and building, as may be determined by the municipality from time to time:

Provided that the municipality may exempt wholly or partially or levy lower rate of tax on the lands and buildings or portion thereof, which is exclusively used for the purpose of public worship and the area of vacant lands and buildings or portion thereof, exclusively used for the purpose of public burial or as a cremation ground, or any other place used for the disposal of dead.

(2) Such other tax, at such rates, as the State Government may, by notification, in each case direct:

Provided that no tax shall be imposed under sub-section (2) unless an opportunity has been given in the prescribed manner to the residents of the municipal area or to the affected parties to file objections and the objections, if any, thus received have been considered.”.

**6. Subsection of section 66.**—For section 66 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"66. Fee, tolls and users charges.— The municipality may impose fee, tolls and user charges for the services provided by it at such rate and in such manner as may be determined by the municipality from time to time.”.

**7. Amendment of section.**—In section 69 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) The tax on consumption of electricity at the rate of one paise for every unit of electricity consumed by any person within the limits, of the municipal area shall be collected by the Himachal Pradesh State Electricity Board set up under the Electricity (Supply) Act, 1948, or by any other person, as the case may be, supplying electricity for consumption in municipal limits and paid to the municipality concerned.”.

**8. Omission of section 70 and 71.**—Sections 70 and 71 of the principal Act shall be omitted.

**9. Amendment of section 79.**—In section 79 of the principal Act, sub-section (2) shall be omitted.

**10. Insertion of new section 150-A.**—After section 150 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

"150-A. Registration of cattle and maintenance of record thereof.— (1) Head of every family shall be responsible to give or cause to be given, either orally or in writing, the details of cattle owned by his family to the municipality within a period one month from the commencement of the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2011, and thereafter, every time as and when any change in the number of cattle takes place by any reasons.

(2) On receipt of the details of cattle under sub-section (1), the municipality shall register cattle and shall maintain records thereof in such form as may be notified by the State Government:

Provided that the municipality may charge registration fee at such rate as may be fixed by the municipality.

(3) It shall be the duty of the municipality to assist the officials or persons engaged by Animal Husbandry Department for applying appropriate identification mark on each cattle and to maintain the record of identification.

(4) If any cattle with identification mark is found stray, the owner of the cattle shall be identified by the municipality from the record maintained by it and such owner shall be liable to a fine of five hundred rupees for the first offence and seven hundred rupees for subsequent offence which shall be imposed by the municipality.

(5) If the municipality fails in identifying such stray cattle due to tempering with identification mark or mutilation thereof, it shall report the matter to the In-charge of the nearest Animal Husbandry Dispensary who shall lodge the stray cattle to the nearest Goshala.”.

**11. Amendment of section 202.**—In section 202 of the principal Act, the words "and shall if so required by the State Government" shall be omitted.

**12. Amendment of section 204.**—In section 204 of the principal Act, in sub-section (1), the words "if so required by the State Government shall" shall be omitted.

**13. Amendment of section 214.**—In section 214 of the principal Act, the words and sign "and shall, if so required by the State Government" shall be omitted.

**14. Amendment of section 216.**—In section 216 of the principal Act, for the words “two hundred rupees” and “ten rupees”, the words “five thousand rupees” and “one hundred rupees” shall respectively be substituted.

**15. Substitution of section 217.**—For section 217 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

“217. Supplemental provisions respecting bye-laws.—Any power to make bye-laws conferred by this Act is conferred subject to the condition that bye-laws being made after previous publication by the municipality, after having been published in Official Gazette for inviting public objections:

Provided that State Government may cancel any such bye-law if found to be contrary to the provisions of this Act or the rules made thereunder and thereupon the bye-law shall cease to have effect.”.

**16. Omission of sections 218 and 219.**—Sections 218 and 219 of the principal Act, shall be omitted.

**17. Amendment of section 220.**—In section 220 of the principal Act, in subsection (2), for the words “ten rupees”, the words “fifty rupees” shall be substituted.

## **STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

Under Chapter-VI of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, there is substantive right to levy taxes and fees and also the procedures to be followed in connection with recovery of taxes and fees from the occupants of the lands and buildings within the limits of the municipality. The property tax is the main source of revenue to all the Urban Local Bodies. At present the tax is assessed on gross annual rent and where the gross annual rent of any land or building cannot be determined the same is assessed on the cost of erection of building and the cost of land. The 13<sup>th</sup> Finance Commission is also of the firm view that all Urban Local Bodies should be enabled to levy property tax and any hindrance in this regard must be removed. This will enable the Government to avail the performance linked grants that are to flow w.e.f. 1.4.2011 to 31.3.2015 as per 13<sup>th</sup> Finance Commission dispensation. In order to simplify the procedure for assessment and levy of property tax, the assessment has been proposed on accepted parameter i.e. location, occupancy, age of building, use of building and type of structures, by taking into consideration the rateable value based upon per square metre of the actual area of land and per square metre of plinth area of the building. Further, penalty for contravention of bye-laws provided under section 216 is very nominal as compared to the gravity of offence. Therefore, in order to ensure strict compliance of bye-laws, it has been proposed to enhance the penalty. A new provision regarding registration of cattle and maintenance of record thereof has also been proposed on the analogy of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994. This has necessitated amendments in the Act-ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(MAHENDER SINGH)**  
*Minister –in -Charge.*

Shimla :

Dated : , 2011.

## **FINANCIAL MEMORANDUM**

**Nil**

## **MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

**Nil**